भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2805**

**05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न**

**खाद्यान्न भंडारण अवसंरचना के लिए केंद्रीय सहायता**

**2805. श्री मलैयारासन डी.:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्न भंडारण अवसंरचना के निर्माण, आधुनिकीकरण और संवर्धन के लिए केंद्रीय सहायता की मांग करने वाले तमिलनाडु राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और वर्ष-वार और परियोजना-वार मांगी गई, स्वीकृत, जारी की गई सहायता राशि और लंबित शेष राशि कितनी है;

(ग) केंद्रीय सहायता की स्वीकृति या उसे जारी करने में देरी, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं और प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु लोक सभा के कल्लाकुरीची निर्वाचन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में मौजूदा खाद्यान्न भंडारण क्षमता का उसकी खरीद और बफर स्टॉक की आवश्यकताओं की तुलना में कोई आकलन किया है; और

(ड.) यदि हां, तो वैज्ञानिक भंडारण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहायता की स्वीकृति और उसे जारी करने में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और तमिलनाडु में आधुनिक साइलो, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क) से (ग):** पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार से इस प्रकार के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

**(घ)** और **(ड):** खाद्यान्न भंडारण की आवश्यकता का आकलन खरीद कार्यों, बफर स्टॉक मानदंडों, प्रचालन आवश्यकताओं और भंडारण क्षमता के भौगोलिक वितरण के आधार पर समय-समय पर किया जाता है। भंडारण क्षमता की उपलब्धता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि खाद्यान्न की कुशल खरीद, भंडारण और संचलन सुनिश्चित किया जा सके। अनुमोदित भंडारण नीति के अनुसार तमिलनाडु में कुल 0.54 लाख टन भंडारण क्षमता की कमी की पहचान की गई है।

कल्लाकुरीची निर्वाचन क्षेत्र में आकलन किया गया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टीएनडब्ल्यूसी चिन्नासेलम की किराए पर लेने की अवधि को एक वर्ष अर्थात दिनांक 31.03.2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

*****